चित्रकूट-पुलिस

(1). नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वालंबन, महिला सशक्तिकरण, महिला कल्याण एवं बाल विकास के प्रति चलाये जा रहे "मिशन शक्ति अभियान-4" के तत्वाधान में जनपद के समस्त थानों की एण्टी रोमियों टीमों/''शक्ति दीदी'' द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थल एवं ग्रामों में भ्रमण कर महिला एवं बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी उपायों के प्रति जागरुक किया गया।

"मिशन शक्ति अभियान-4" व ''शक्ति दीदी'' अभियान के तहत आज दिनांक 09.01.2025 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरूण कुमार सिंह के निर्देशन में जनपद में नोडल अधिकारी मिशन शक्ति क्षेत्राधिकारी राजापुर श्रीमती निष्ठा उपाध्याय के पर्यवेक्षण में समस्त थाना क्षेत्रो में एण्टी रोमियों टीमों द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थलों एवं ग्रामो में भ्रमण किया गया । महिलाओं/बालिकाओँ को "मिशन शक्ति" व ''शक्ति दीदी'' के सार्वजनिक स्थलो जैसे-चौराहे, बाजारों को असामाजिक तत्वों से मुक्त कराये जाने तथा महिलाओ एवं बालिकाओं के साथ राह चलते छेडखानी, अभद्रता, अश्लील प्रदर्शन तथा अभद्र टिप्पणियाँ इत्यादि की घटनाओं को रोकने के लिये जागरुक किया गया तथा महिला/बालिकाओं को सुरक्षा संबंधित सेवाएँ जैसे यू0पी0-112 नम्बर/वूमेन पावर लाइन 1090/यूपी कॉप एप/181 महिला हेल्प लाइन/1076 मुख्यमंत्री हेल्प लाइन/1098 चाइल्ड हेल्प लाइन/102 स्वास्थ्य सेवा/108 एम्बूलेन्स सेवा/1930 साइबर हेल्पलाइन के बारे में जानकारियां दी गई । इस दौरान उपस्थित महिलाओं/बालिकाओं को अवगत कराया गया कि सभी थानों में महिलाओ की सुरक्षा/सहायता हेतु एक महिला हैल्पडेस्क बनाया गया है, जहाँ पर महिला पुलिसकर्मी द्वारा महिलाओं की शिकायत सुनी जाती है तथा समय से उनका निस्तारण किया जाता है । इसके साथ ही मौजूद महिलाओं/बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी चलायी जा रही हेल्पलाइन नम्बरों के सम्बन्ध में पंपलेट वितरित करते हुए विस्तार से जानकारी देने के साथ ही सभी महिलाओं/बालिकाओ को हेल्पलाइन नम्बर का निर्भीक होकर उपयोग करने हेतु तथा महिलाओ को आत्मनिर्भर बनने व निर्भीक होकर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने/शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्रेरित किया गया तथा सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवेसी रखते हुये उसका प्रयोग करने के लिये कहा गया । इसी क्रम में महिलाओं/बालिकाओ को जनपद में गठित "एंटी रोमियो स्क्वायड" टीम के बारे में अवगत कराया गया तथा बताया गया कि सादे वस्त्रों में तथा प्राइवेट वाहनों से सार्वजनिक स्थलों यथा- स्कूल, कालेज व कोचिंग संस्थान के आसपास व ऐसे स्थान जहाँ पर महिलाओ एवं बालिकाओ का अधिकतर आवागमन होता है उनको भौतिक रुप से चिन्हित कर शोहदो/मनचलो के द्वारा Eve Teasing इत्यादि आपत्तिजनक हरकतो को रोकने के उद्देश्य से सघन चैकिंग कर लोगो से पूछताछ की जाती है व अनावश्यक रुप से मौजूद शोहदो/मनचलो को हिदायत/कार्यवाही की।

(2). आज दिनाँक 09.01.2025 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह निर्देशन में चित्रकूट पुलिस द्वारा आगामी त्योहार के दृष्टिगत शान्ति एवं सुरक्षा व्यवस्था सुदृण बनाये रखने हेतु थाना/चौकी प्रभारियो द्वारा थाना/चौकी क्षेत्र के मिश्रित आबादी क्षेत्र एवं भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर पैदल गस्त किया गया। पुलिस टीमों द्वारा दुकानदारों, व्यापारीबंधुओँ एवं क्षेत्रीय नागरिको से वार्ता कर सुरक्षा का भरोसा दिलाया। पैदल गस्त के दौरान पुलिस टीम द्वारा सरकारी शराब की दुकानों को चेक किया गया एवं 02/04 पहिया वाहनों की चेकिंग की गयी।

(3). आज दिनांक 09.01.2025 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा आगामी महाकुंभ के दृष्टिगत शांति व सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने हेतु कोतवाली कर्वी अंतर्गत अंतर्राज्यीय बैरियर देवांगना,खोही तिराहा एवं थाना भरतकूप अंतर्गत अंतर्जनपदीय बैरियर बुंदेलखंड जीरो प्वाइंट पर संदिग्ध व्यक्ति/संदिग्ध वाहनों की चेकिंग की गई। इस दौरान पुलिस अधीक्षक चित्रकूट द्वारा बैरियर पर बने चेक पोस्ट का निरीक्षण किया। उपस्थित पुलिस कर्मियों को चेक पोस्ट से रिहर्सल कराया गया तथा संदिग्ध व्यक्तियों/वाहनों की पहचान करने व जंगल का रास्ते होने के कारण विशेष सावधानियों के बारे में बताया गया तथा सुधार हेतु सम्बन्धित को निर्देशित किया।

इस दौरान थानाध्यक्ष भरतकूप श्री प्रवीण कुमार सिंह,चौकी प्रभारी गल्ला मंडी समिति श्री श्यामदेव सिंह, चौकी प्रभारी परिक्रमा मार्ग श्री रमेश यादव व पीआरओ श्री प्रवीण सिंह मौजूद रहे।

(4). श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक मऊ श्री विनोद कुमार राय एवं पैरोकार आरक्षी धनेश मिश्रा तथा मॉनिटरिंग सेल प्रभारी श्री विनोद शुक्ला व उनकी टीम द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं जिला शासकीय अधिवक्ता श्री श्याम सुन्दर मिश्रा द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री विकास कुमार प्रथम द्वारा आज दिनांक 09.01.2025 को पुलिस मुख्यालय से पैरवी हेतु चिन्हित एवं थाना मऊ में पंजीकृत मु0अ0सं0 180/020 धारा 304,323,324,34 भादवि के आरोपी अभियुक्त बउवा पुत्र मुन्ना उर्फ प्रदीप 2. नान पुत्र मुन्ना उर्फ प्रदीप निवासीगण बरियारी खुर्द थाना मऊ जनपद चित्रकूट को 10-10 वर्ष का कारावास व 13-13/- हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

<u>घटना का संक्षिप्त विवरण-</u>

दिनांक 24.05.2020 को वादिया सुरतिया ने थाना मऊ पर सूचना दी कि अभियुक्त बउवा पुत्र मुन्ना उर्फ प्रदीप 2. नान पुत्र मुन्ना उर्फ प्रदीप निवासीगण बरियारी खुर्द थाना मऊ जनपद चित्रकूट द्वारा उनके पति रामभवन पुत्र लवकुश एवं भतीजे तीरथ को गाली गलौच कर लाठी दण्डों से मारा जिससे उसके पति की इलाज के दौरान मृत्यु हो गयी। सूचना पर थाना मऊ में मु0अ0सं0 180/020 धारा 304,504, 323,324,34 भादवि बनाम बउवा पुत्र मुन्ना उर्फ प्रदीप 2. नान पुत्र मुन्ना उर्फ प्रदीप उपरोक्त पंजीकृत किया गया था जिसकी विवेचना तत्कालीन उ0नि0 श्री सतीश कुमार पाण्डेय द्वारा सम्पादित की गयी। दिनाँक 24.08.2020 को अभियुक्तों को गिरफ्तार कर दिनाँक 20.10.2020 को आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया।

(5). पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश महोदय द्वारा चलाये जा रहे #OperationConviction के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन प्रभारी निरीक्षक राजापुर श्री मनोज कुमार एवं पैरोकार मुख्य आरक्षी ब्रज बिहारी तथा मॉनिटरिंग सेल प्रभारी श्री विनोद कुमार शुक्ला एवं उनकी टीम द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं शासकीय अधिवक्ता श्री सनद मिश्रा द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायालय एससी एसटी एनडीपीएस कोर्ट श्री राममणि पाठक द्वारा आज दिनांक 09.01.2025 को पंजीकृत मु0अ0सं0 02/2018 धारा 08/20 एनडीपीएस एक्ट के आरोपी अभियुक्त 1.नृपेंद्र सिंह पुत्र दिलीप निवासी ग्राम व पोस्ट तुर्की थाना रामपुर जनपद सतना 2. संदीप पटेल पुत्र सुरेश प्रसाद पटेल निवासी लालपुर थाना अमरपाटन जनपद सतना 3.अनुराग सिंह पुत्र धीरेन्द्र सिंह निवासी लौहदा थाना पहाड़ी जनपद चित्रकूट को 12-12 वर्ष का कारावास एवं 01-01 लाख रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

संक्षिप्त विवरणः-

दिनाँक 21.01.2018 को लखनऊ के नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के आसूचना अधिकारी वादी अतुल कुमार द्विवेदी व उनकी एनसीबी टीम को सूचना मिली थी कि सतना जिले के रामपुर बाघेलान थाने के तुर्की गांव के निवासी नृपेन्द्र सिंह और अमर पाटन थाने के लालपुर गांव के निवासी संदीप पटेल अपनी गाड़ियों के साथ गांजे की एक बड़ी खेप की लेन-देन के लिए राजापुर थाने के सुरवल गांव पहुंचने वाले है। जहां पहाड़ी थाने के लोहदा गांव का निवासी अनुराग सिंह अपनी गाड़ी से नृपेन्द्र सिंह और संदीप पटेल को गांजा आपूर्ति करेगा। जिसके बाद एनसीबी टीम ने सुरवल गांव में तीनों आरोपियों और उनकी तीनों गाड़ियों को पकड़ लिया। जिसमें तलाशी के दौरान गांजे की 17 बोरियां बरामद हुई। जिनमें लगभग 580 किलो नाजायज गांजा पाया गया।